



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 4 फरवरी, 2026

माघ 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग-1

संख्या I/1225960-2026

लखनऊ, 4 फरवरी, 2026

अधिसूचना

सा०प०नि०-10

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गयी प्रथम अनुसूची का संशोधन अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ—एक (विद्यमान अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम—21 देखिये)			स्तम्भ—दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व की दर (नियम—21 देखें)		
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर
1	चूना पत्थर	रु० 150.00 प्रति टन या रु० 275.00 प्रति घन मीटर	1	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 206.00 प्रति टन या रु० 405.00 प्रति घन मीटर	2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 206.00 प्रति टन या रु० 405.00 प्रति घन मीटर
3	ईंट बनाने की मिट्टी	शून्य	3	ईंट बनाने की मिट्टी	शून्य
4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	
(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमैन्शनल स्टोन)		(i)	ग्रेनाइट (साइज्ड डायमैन्शनल स्टोन)	
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 5000.00 प्रति घनमीटर		(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 6000.00 प्रति घन मीटर
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु० 3000.00 प्रति घन मीटर		(ख) एक मीटर के नीचे के साइज के	रु० 4000.00 प्रति घन मीटर
(ii)	स्लेब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमैन्शनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 650.00 प्रति घन मीटर	(ii)	स्लेब्स और अश्लर सहित साइज्ड डायमैन्शनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 850.00 प्रति घन मीटर
(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मीटर	(iii)	मिल स्टोन व हाथ चक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मीटर
(iv)	खण्डास और बोल्डर		(iv)	खण्डास और बोल्डर	
	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm x 25cm x 25cm) तक साइज्ड का	रु० 125.00 प्रति घन मीटर		(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25cm x 25cm x 25cm) सेमी० तक साइज्ड का	रु० 125.00 प्रति घन मीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25cm x 25cm x 25cm) तक साइज्ड का	रु० 100.00 प्रति घन मीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25cm x 25cm x 25cm) सेमी० तक साइज्ड का	रु० 100.00 प्रति घन मीटर
(v)	बैलास्ट (गिट्टी)		(v)	बैलास्ट (गिट्टी)	
	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु० 160.00 प्रति घन मीटर		(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु० 165.00 प्रति घन मीटर
	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 110.00 प्रति घन मीटर		(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 140.00 प्रति घन मीटर
	(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100.00 प्रति घन मीटर		(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100.00 प्रति घन मीटर
5	मौरम		5	मौरम	
	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 150.00 प्रति घन मीटर		(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 190.00 प्रति घन मीटर

<u>स्तम्भ—एक</u> (विद्यमान अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व (नियम-21 देखिये)			<u>स्तम्भ—दो</u> (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) प्रथम अनुसूची स्वामित्व की दर (नियम-21 देखें)		
क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर	क्र० सं०	खनिज	स्वामित्व की दर
	(ख) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रु० 75.00 प्रति घन मीटर		(ख) पहाड़ों के क्षरण के कारण उत्पन्न लाल मौरम	रु० 100.00 प्रति घन मीटर
6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6	साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु० 65.00 प्रति घन मीटर		(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु० 80.00 प्रति घन मीटर
	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु० 55.00 प्रति घन मीटर		(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जिलों में उपलब्ध)	रु० 70.00 प्रति घन मीटर
7	बजरी (सिंगिल)	रु० 110.00 प्रति घनमीटर	7	(i) बजरी (सिंगिल)	रु० 110.00 प्रति घन मीटर
				(ii) बालू/बजरी/बोल्डर मिश्रित अवस्था में (आर०बी०एम०)	रु० 160.00 प्रति घन मीटर
8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य	8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	शून्य
9	पायरोफिलाइट	रु० 300.00 प्रति टन	9	पायरोफिलाइट	रु० 340.00 प्रति टन
10	डायस्पोर	रु० 500.00 प्रति टन	10	डायस्पोर	रु० 525.00 प्रति टन
11	सिलिका सैण्ड	रु० 100.00 प्रति टन	11	सिलिका सैण्ड	रु० 150.00 प्रति टन
12	चाइना क्ले	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	12	चाइना क्ले	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
13	कैलसाइट	खान पर खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत	13	कैलसाइट	खनिमुख मूल्य का 12 प्रतिशत
14	क्वार्टज	रु० 100.00 प्रति टन	14	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खनिमुख मूल्य का 10 प्रतिशत

द्वितीय
अनुसूची का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखें)			
क्र० सं०	उपखनिजों के नाम	जिले/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर	क्र० सं०	खनिज	जिलों/नदी का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर
1	मार्बल और मार्बल चिप्स	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु० 40000.00	1	मार्बल, मार्बल चिप्स (संगमरमर)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु० 60000.00
2	चूना पत्थर (लाईम स्टोन)	सोनभद्र और अन्य जिले, यदि कोई हों।	रु० 40000.00	2	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया	निकाल दिया गया
3				3	इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)		
	(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु० 65000.00		(क) सैण्डस्टोन एवं क्वार्टजाइट	ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, मथुरा और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु० 97500.00
	(ख) ग्रेनाईट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु० 120000.00		(ख) ग्रेनाईट, डोलोस्टोन	झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, सोनभद्र और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु० 180000.00
4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	(बोल्डर) रु० 90000.00 (बजरी) रु० 90000.00 (साधारण बालू) रु० 40000.00 प्रत्येक खनिज पर अलग अलग दर लागेगी।	4	ऐसे इमारती पत्थर, गिट्टी, (बैलास्ट) बजरी और साधारण बालू जो मिली जुली अवस्था में नदी के तल पर मिलते हैं।	बिजनौर, सहारनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और अन्य जिले यदि कोई हों।	रु० 135000.00 (बोल्डर) रु० 135000.00 (बजरी) रु० 60000.00 (साधारण बालू) प्रत्येक खनिज पर पृथक दर प्रभावि होगी।

स्तम्भ-1 (विद्यमान अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखे)			
5	मौरम— (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों	रु0 90000.00	5	मौरम (एक) नदी तल	हमीरपुर, महोबा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी (यमुना), फतेहपुर, सोनभद्र एवं अन्य जिले यदि कोई हों।	रु0 135000.00
	(दो) पहाड़ों के क्षरण के फलस्वरूप जमा लाल मौरम		रु0 24000.00	(दो) पहाड़ों के क्षरण के कारण जमा लाल मौरम	समस्त जिले जहां उपलब्ध हों	रु0 36000.00	
6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज(यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, आजमगढ़, कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड़, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात	रु0 50000.00	6	साधारण बालू (प्रथम श्रेणी)	प्रयागराज(यमुना), मिर्जापुर, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मऊ, गाजियाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, संत रविदास नगर, आजमगढ़, कानपुर नगर, बिजनौर, उन्नाव, इटावा, औरैया, बलिया, अयोध्या, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोण्डा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, हापुड़, कासगंज, सम्भल, अमरोहा, कानपुर देहात	रु0 75000.00

स्तम्भ-1 (विद्यमान अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखिये)				स्तम्भ-2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) द्वितीय अनुसूची अपरिहार्य भाटक (नियम-22 देखें)			
7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 30000.00	7	साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी)	शाहजहांपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर (गंगा), कौशाम्बी (गंगा), प्रयागराज (गंगा), प्रतापगढ़, एटा, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, पीलीभीत, मैनपुरी, हाथरस, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी।	रु0 45000.00
8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु0 10000.00	8	साधारण मृदा (आरडिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु0 15000.00
9	पायरोफिलाईट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाईट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जनपद जहां उपलब्ध हो।	रु0 20000.00	9	पायरोफिलाईट, डायस्पोर, सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, कैलसाईट एवं अन्य उपखनिज	समस्त जिले जहां उपलब्ध हो।	रु0 30000.00

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव,
सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. I/1225960/2026 dated February 4, 2026:

No. I/1225960/2026

Dated Lucknow, February 4, 2026

IN exercise of the powers under sub-section (1) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amend the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021, namely:—

**THE UTTAR PRADESH MINOR MINERALS (CONCESSION)
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2026**

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) (Second Amendment) Rules, 2026. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 (hereinafter referred to as the “said rules”) for the First Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :— Amendment of First Schedule

COLUMN-I (Existing Schedule) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)			COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)		
Sl. no.	Minerals	Rate of Royalty	Sl. no.	Minerals	Rate of Royalty
1	2	3	1	2	3
1	Limestone	Rs. 150.00 per tonne or Rs. 275.00 per cubic meter	1	<i>Omitted</i>	<i>Omitted</i>
2	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter	2	Marble or Marble Chips (Sangmermer)	Rs. 206.00 per tonne or Rs. 405.00 per cubic meter
3	Brick earth	Nil	3	Brick earth	Nil
4	Building Stone		4	Building Stone	
(i)	Granite (sized dimensional stone)		(i)	Granite (sized dimensional stone)	
	(a) 1 meter or above size	Rs. 5000.00 per cubic meter		(a) 1 meter or above size	Rs. 6000.00 per cubic meter
	(b) below 1 meter size	Rs.3000.00 per cubic meter		(b) below 1 meter size	Rs.4000.00 per cubic meter
(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar (sand stone, quartzite)	Rs. 650.00 per cubic meter	(ii)	Sized dimensional stone including slabs and ashlar, (sand stone, quartzite)	Rs. 850.00 per cubic meter
(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter	(iii)	Millstone and Hand Chakis (Sand Stone, Quartzite)	Rs. 600.00 per cubic meter
(iv)	Khandas and Boulders		(iv)	Khandas and Boulders	
	(a) Granite and Dolostone sized up to 25cmx25cmx25cm	Rs. 125.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone sized up to 25cmx25cmx25cm	Rs. 125.00 per cubic meter
	(b) Sand stone and Quartzite sized up to 25cmx25cmx25cm	Rs. 100.00 per cubic meter		(b) Sand stone and Quartzite sized up to 25cmx25cmx25cm	Rs. 100.00 per cubic meter

<u>COLUMN-I</u> (Existing Schedule) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)			<u>COLUMN-II</u> (Schedule as hereby substituted) First Schedule Rate of Royalty (See rule-21)		
(v)	Ballast (Gitti)		(v)	Ballast (Gitti)	
	(a) Granite and Dolostone	Rs. 160.00 per cubic meter		(a) Granite and Dolostone	Rs. 165.00 per cubic meter
	(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 110.00 per cubic meter		(b) Sand Stone/ Quartzite	Rs. 140.00 per cubic meter
	(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter		(c) Stone Dust	Rs. 100.00 per cubic meter
5	Morrum		5	Morrum	
	(a) available in the river bed	Rs. 150.00 per cubic meter		(a) available in the river bed	Rs. 190.00 per cubic meter
	(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 75.00 per cubic meter		(b) red morrum deposit due to erosion of hills	Rs. 100.00 per cubic meter
6	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)		6	Ordinary sand (Other than sand used for prescribed purposes)	
	(a) First Category (Found in districts mentioned in Schedule second)	Rs. 65.00 per cubic meter		(a) First Category (Found in districts mentioned in Schedule second)	Rs. 80.00 per cubic meter
	(b) Second Category (Found in districts mentioned in Schedule second)	Rs. 55.00 per cubic meter		(b) Second Category (Found in districts mentioned in Schedule second)	Rs. 70.00 per cubic meter
7	Bajri (Single)	Rs. 110.00 per cubic meter	7	(i) Bajri (Single) (ii) Sand/ Bajri/ Boulder in mixed state (R.B.M.)	Rs. 110.00 per cubic meter Rs. 160.00 per cubic meter
8	Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil	8	Ordinary Clay or Ordinary earth	Nil
9	Pyrophyllite	Rs. 300.00 per tonne	9	Pyrophyllite	Rs. 340.00 per tonne
10	Diaspore	Rs. 500.00 per tonne	10	Diaspore	Rs. 525.00 per tonne
11	Silica Sand	Rs. 100.00 per tonne	11	Silica Sand	Rs. 150.00 per tonne
12	China Clay	12% of Pit mouth value	12	China Clay	12% of Pit mouth value
13	Calcite	12% of Pit mouth value	13	Calcite	12% of Pit mouth value
14	Quartz	Rs. 100 per tonne	14	Omitted	Omitted
15	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value	15	Any other minor mineral for which the rate of royalty not specified	10% of Pit mouth value

3. In the said rules, for the Second Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:—

Amendment of
Second
Schedule

COLUMN-I (Existing Schedule) Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)			
Sl. no.	Minerals	Name of Districts/ River	Rate of Dead Rent per acre per annum	Sl. no.	Minerals	Name of Districts/ River	Rate of Dead Rent per acre per annum
1	Marble and Marble Chips	Sonebhadra and other district if any	Rs.40,000.00	1	Marble, Marble Chips (Sangmermer)	Sonbhadra and other district if any	Rs.60,000.00
2	Limestone	Sonbhadra and other district if any	Rs.40,000.00	2	Omitted	Omitted	Omitted
3	Building Stone			3	Building Stone		
(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any	Rs. 65,000.00	(A)	Sand stone and Quartzite	Lalitpur, Banda, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj Mathura and other districts if any	Rs. 97,500.00
(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any	Rs.1,20,000.00	(B)	Granite Dolostone	Jhansi, Lalitpur, Hamirpur, Mahoba, Banda, Jalaun, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 1,80,000.00
4	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any	Rs. 90,000.00 (Boulder) Rs. 90,000.00 (Bajri) Rs. 40,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals	4	Such Building Stone, Ballast, Bajri and Ordinary Sand as are found in mixed form in the river bed	Bijnor, Saharanpur, Bahrich, Lakhimpur khiri, Balrampur and other districts if any	Rs. 1,35,000.00 (Boulder) Rs. 1,35,000.00 (Bajri) Rs. 60,000.00 (Ordinary Sand) The separate rate will be charged on each minerals.
5	Morrum			5	Morrum		
(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 90,000.00	(I)	River bed	Hamirpur, Mahoba, Jhansi, Banda, Chitrakoot, Jalaun, Lalitpur, Kaushambi (Yamuna) Fatehpur, Sonbhadra and other districts if any	Rs. 1,35,000.00

COLUMN-I <i>(Existing Schedule)</i> Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				COLUMN-II <i>(Schedule as hereby substituted)</i> Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)			
(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available	Rs.24,000.00	(II)	Red morrum deposit due to erosion of hills	All districts where available	Rs.36,000.00
6	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam Buddh Nagar, Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur Nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya, Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar Nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabir Nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth Nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha, Kanpur Dehat	Rs.50,000.00	6	Ordinary sand Category-I	Prayagraj (Yamuna), Mirzapur, Firozabad, Agra, Meerut, Mau, Ghaziabad, Bagpat, Gautam Buddh Nagar, Varanasi, Gorakhpur, Chandauli, Sant Ravidas Nagar, Azamgarh, Kanpur Nagar, Bijnor, Unnao, Etawah, Auraiya, Ballia, Ayodhya, Bulandsahar, Muzaffarnagar, Ambedkar Nagar, Deoria, Kushinagar, Basti, Santkabir Nagar, Gonda, Maharajganj, Sidharth Nagar, Balrampur, Gazipur, Bahrich, Sharawasti, Barabanki, Saharanpur, Shamli, Hapur, Kasganj, Sambhal, Amroha, Kanpur Dehat	Rs. 75,000.00

COLUMN-I (Existing Schedule) Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)				COLUMN-II (Schedule as hereby substituted) Second Schedule Rate of Dead Rent (See rule-22)			
7	Ordinary sand Category-II	Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebarely, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga), Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri, Amethi	Rs. 30,000.00	7	Ordinary sand Category-II	Shahjahanpur, Mathura, Moradabad, Badaun, Rampur, Lucknow, Aligarh, Hardoi, Raebarely, Fatehpur (Ganga), Kaushambi (Ganga), Prayagraj (Ganga), Pratapgarh, Etah, Bareilly, Sultanpur, Sitapur, Farukhabad, Kannauj, Pilibhit, Mainpuri, Hathras, Jaunpur, Lakhimpur kheri, Amethi	Rs. 45,000.00
8	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available	Rs. 10,000.00	8	Ordinary Clay or Ordinary earth	In all districts where available	Rs. 15,000.00
9	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available	Rs. 20,000.00	9	Pyrophyllite, Diaspore, Silica Sand, China Clay, Calcite and other minor minerals	In all districts where available	Rs. 30,000.00

By order,
MALA SRIVASTAVA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 368 राजपत्र-2026-(1078)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० भूतत्व एवं खनिकर्म-2026-(1079)-1500 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।